

राजस्थान सरकार  
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 05 दिसम्बर, 2017

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त स्थानों पर उपचुनाव दिसम्बर, 2017 के लिये मतदान दिनांक 17.12.2017 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22क के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ग के प्रावधान इन चुनाव में भी लागू होंगे।

अतः पंचायत राज संस्थाओं के संलग्न कार्यक्रम के अनुसार संबंधित चुनाव क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा पंच/सरपंच के निर्वाचन क्षेत्रों में एवं इनसे लगते हुये 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में दिनांक 15.12.2017 को सायं 5.00 बजे से दिनांक 17.12.2017 को मतगणना समाप्ति तक एवं जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्यों के मतदान क्षेत्रों एवं इनसे लगते हुये 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में दिनांक 15.12.2017 को सायं 5.00 बजे से दिनांक 17.12.2017 को सायं 5.00 बजे तक तथा मतगणना दिनांक 19.12.2017 को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,



( शंकर लाल कुमावत )  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांक प.7(2)(7)पंचा/रानिआ/2017/4155 दिनांक 27.11.2017 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण से संबंधित मद्य निषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
6. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, (कम्प्यूटर सैल) वित्त विभाग।
8. जिला कलेक्टर.....
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त.....
10. जिला आबकारी अधिकारी.....
11. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव

पंचायतीराज संस्थाओं में उपचुनाव हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त विद्यमान रिक्तियों की स्थिति

क्र.सं	जिला	जि.प. नि.क्षे. संख्या	पंचायत समिति सदस्य		सरपंच		उप सरपंचों की संख्या	वार्ड पंचों की संख्या
			प.स. का नाम	नि. क्षे. सं.	प.स. का नाम	ग्रा.प. का नाम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजमेर		श्रीनगर	14	जवाजा	नून्दीमेन्द्रातान	1	11
2	अलवर		कोटकासिम	12	कठूमर	तसई	2	16
			नीमराणा	4	किशनगढ़बास	बृसंगपुर		
					बहरोड़	भगवाडीखुर्द		
					लक्ष्मणगढ़	खेडामंगलसिंह		
					बानसूर	श्यामपुरा		
					नीमराणा	सांतो		
3	बांसवाड़ा	14					1	
4	बारां		छबड़ा	15	अटरु	रतनपुरा		2
5	बाड़मेर		सिवाना	9			4	15
6	भरतपुर		नदबई	11	रूपवास	इब्राहिमपुर	1	11
					कुम्हेर	कुम्हा*		
7	भीलवाड़ा	23	रायपुर	9	आसीन्द	कालियास	1	13
			माण्डलगढ़	3	बनेड़ा	मुशी		
					माण्डल	भादु		
					सुवाणा	देबली		
8	बीकानेर		श्रीडूंगरगढ़	4	कोलासत	गुड्डा	2	12
9	बून्दी				लालेड़ा	राजपुरा		4
10	चित्तौड़गढ़				कपूरसन	उमंड		6
11	चुरू						2	14
12	दौसा		लालसोट	24	लालसोट	बिलौनाकलां		8
					लालसोट	कल्लावास*		
13	धौलपुर				धौलपुर	बोधपुरा		6
					खैपड़	रजौरा कलां		
14	डूंगरपुर		झाधरी	2			1	3
15	हनुमानगढ़							2
16	जयपुर		फागी	12	विराटनगर	बागावास अहिरान	1	21
					सांभरलेक	मुरलीपुरा		
					चाकसू	गिरधारीलालपुरा*		
17	जैसलमेर						3	7
18	जालौर	21					1	9
19	झालावाड़		खानपुर	18				2
			मनोहरथाना	3				

आर.डी.ओ. जिला निर्वाचन

mm

क्र.सं	जिला	जि.प. नि.क्षे. संख्या	पंचायत समिति सदस्य		सरपंच		उप सरपंचो की संख्या	वार्ड पंचो की संख्या
			प.स. का नाम	नि. क्षे. सं.	प.स. का नाम	ग्रा.प. का नाम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	झुन्झुनूं				नवलगढ़	देवीपुरा*	1	11
					खेतड़ी	कांकरिया		
21	जोधपुर		औसियां	17	बालेसर	बस्तवा		15
			बापीणी	13				
22	करौली	2	करौली	22	नादौती	गढखेडा		3
					करौली	गुडला		
					टोडाभीम	किरवाड़ा		
23	कोटा		इटावा	2	इटावा	बंबूलिया कलां	1	3
24	नागौर		डीडवाना	18	जायल	गौराऊ		19
			परबतसर	5				
25	पाली				रायपुर	पिपलियाकलां		15
26	प्रतापगढ़		धरियावद	5				5
			प्रतापगढ़	10				
27	राजसमन्द		राजसमन्द	5				4
28	सवाई माधोपुर		सवाईमाधोपुर	12	बाँली	जोलन्दा		2
					बाँली	मलारनाडूंगर		
29	सीकर				पाटन	ब्याल की नांगल	4	28
					नीमकाथाना	मावण्डा आर.एस.		
					खण्डेला	दूधवालों का बास		
30	सिरोही							6
31	श्रीगंगानगर				सवाईसिंहनगर	1 एमकेबी (उडसर)		3
32	टोंक				टोडारायसिंह	छाणबाससूर्या		5
33	उदयपुर		गिर्वा	29			1	14
			झाडोल	13				
			प्राणभदव	1				
योग		4	27		40		26	296

\* दिनांक 30.09.2017 के पश्चात् के रिक्त पद, जो विभिन्न न्यायालय द्वारा रिक्त घोषित किये गये।

राज्य

मन्

जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य का उपचुनाव:

1.	नियम 58 के तहत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना	दि. 01.12.2017 (शुक्रवार)
2.	नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	दि. 05.12.2017 (मंगलवार) (पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक)
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	दि. 06.12.2017 (बुधवार) (पूर्वाह्न 11.30 बजे से)
4.	नाम निर्देशन पत्र वापिस लेने की अंतिम तारीख	दि. 07.12.2017 (गुरुवार) (अपराह्न तीन बजे तक)
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	दि. 07.12.2017 (गुरुवार) (अपराह्न तीन बजे बाद)
6.	मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो, होगा	दि. 17.12.2017 (रविवार)
7.	मतदान का समय	प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक
8.	मतों की गणना	दि. 19.12.2017 (मंगलवार) (प्रातः 8 बजे से) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर

दिनांक 02.12.2017 के राजपत्रित अवकाश में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

पंच/सरपंचों के लिए उपचुनाव

1.	नियम 23 के सपठित नियम 55, 56, 57 के अन्तर्गत लोक नोटिस जारी करना	दि. 01.12.2017 (शुक्रवार)
2.	नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, संवीक्षा व वापिसी	दि. 13.12.2017 (बुधवार)
	समय	
	(1) नाम निर्देशनों की प्राप्ति	प्रातः 8 बजे से प्रातः 11 बजे तक
	(2) नाम निर्देशनों की संवीक्षा	पूर्वाह्न 11.30 बजे से
	(3) अभ्यार्थिता वापिसी	अपराह्न 3 बजे तक
3.	मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो, होगा	दि. 17.12.2017 (रविवार)
4.	मतदान का समय	प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक
5.	मतों की गणना	दि. 17.12.2017 (रविवार) (मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
6.	उप/सरपंच का चुनाव	दि. 18.12.2017 (सोमवार)